* ई–मेल
स्पीड पोस्ट/निबंधित डाक

पत्रांक–2ब०/वि०आ०–10–02/2023 /न०वि०एवंआ०वि०

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

राजेश कुमार तिवारी,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

***द्वारा–आन्तरिक वित्तीय सलाहकार**

पटना, दिनांक–

विषयः– **राज्य के 18 नगर निगमों को 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए शहरी स्थानीय निकायों को Tied Grant एवं Untied Grant की अनुशंसित द्वितीय किस्त की राशि ₹29842.97716 लाख (दो सौ अट्ठानवे करोड़ बयालीस लाख सत्तानवे हजार सात सौ सोलह रु०) मात्र वित्तीय वर्ष 2025–26 में अनुदान की राशि के व्यय की स्वीकृति।**

आदेशः– **स्वीकृत।**

14वें वित्त आयोग का कार्यकाल मार्च, 2020 में समाप्त होने के उपरांत 15वें वित्त आयोग का गठन भारत सरकार द्वारा किया गया है, जो आगामी 05 वर्षों अर्थात् वित्तीय वर्ष 2025–26 तक कार्यरत रहेगा। आयोग के प्रतिवेदन के अनुसार शहरी स्थानीय निकायों को दो श्रेणियों यथा–Million Plus आबादी वाले शहर तथा Non-Million Plus आबादी वाले शहरों में विभक्त किया गया है। उक्त अनुशंसा के आलोक में Non-Million Plus आबादी वाले शहरों के लिए भारत सरकार के ULB Release No.- 74/2025-26, दिनांक–04.02.2026 द्वारा Tied Grant की राशि ₹44428.65 लाख (चार सौ चौवालीस करोड़ अठाईस लाख पैंसठ हजार रु०) एवं ULB Release No.- 75/2025-26, दिनांक–04.02.2026 द्वारा Untied Grant की राशि ₹29619.10 लाख (दो सौ छियानवे करोड़ उन्नीस लाख दस हजार रु०) अर्थात् कुल राशि ₹74047.75 लाख (सात सौ चालीस करोड़ सैंतालीस लाख पचहत्तर हजार) मात्र विमुक्त की गई है। उक्त विमुक्त राशि में से राज्य के 18 नगर निगमों को ₹29842.97716 लाख (दो सौ अट्ठानवे करोड़ बयालीस लाख सत्तानवे हजार सात सौ सोलह रु०) मात्र विमुक्त करने की स्वीकृति दी जाती है।

2. तदनुसार वित्तीय वर्ष 2025–26 में 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में Non-Million Plus आबादी वाले शहरों के लिए भारत सरकार से प्राप्त द्वितीय किस्त की राशि में से राज्य के कार्यरत 18 नगर निगमों को निम्न तालिका के स्तम्भ–5 के अनुरूप कुल ₹29842.97716 लाख (दो सौ अट्ठानवे करोड़ बयालीस लाख सत्तानवे हजार सात सौ सोलह रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में राशि निम्नवत् स्वीकृत की जाती हैः–

Sl. No.	नगर निकाय का नाम	विषय शीर्ष जिससे राशि की निकासी की जानी है।		निकासी की जाने वाली कुल राशि रूपये में
		31.05	31.06	
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	नगर निगम, गया	13,94,74,981.00	13,94,74,981.00	27,89,49,962.00
2	नगर निगम, बिहारशरीफ	9,97,75,025.00	9,97,75,025.00	19,95,50,050.00

3	नगर निगम, भागलपुर	11,66,48,517.00	11,66,48,517.00	23,32,97,034.00
4	नगर निगम, मुजफ्फरपुर	10,37,95,267.00	10,37,95,267.00	20,75,90,534.00
5	नगर निगम, दरभंगा	8,60,23,306.00	8,60,23,306.00	17,20,46,612.00
6	नगर निगम, पूर्णियाँ	8,86,45,835.00	8,86,45,835.00	17,72,91,670.00
7	नगर निगम, सासाराम	8,85,10,444.00	8,85,10,444.00	17,70,20,888.00
8	नगर निगम, आरा	7,72,01,865.00	7,72,01,865.00	15,44,03,730.00
9	नगर निगम, समस्तीपुर	8,52,29,402.00	8,52,29,402.00	17,04,58,804.00
10	नगर निगम, बेगूसराय	7,61,92,981.00	7,61,92,981.00	15,23,85,962.00
11	नगर निगम, मधुबनी	5,09,31,460.00	5,09,31,460.00	10,18,62,920.00
12	नगर निगम, बेतिया	7,13,53,432.00	7,13,53,432.00	14,27,06,864.00
13	नगर निगम, कटिहार	7,08,55,897.00	7,08,55,897.00	14,17,11,794.00
14	नगर निगम, मोतिहारी	6,99,63,503.00	6,99,63,503.00	13,99,27,006.00
15	नगर निगम, मुंगेर	6,22,66,170.00	6,22,66,170.00	12,45,32,340.00
16	नगर निगम, छपरा	5,91,38,553.00	5,91,38,553.00	11,82,77,106.00
17	नगर निगम, सीतामढ़ी	7,82,15,061.00	7,82,15,061.00	15,64,30,122.00
18	नगर निगम, सहरसा	6,79,27,159.00	6,79,27,159.00	13,58,54,318.00
	कुल –	**1,49,21,48,858.00**	**1,49,21,48,858.00**	**2,98,42,97,716.00**

अर्थात् कुल स्वीकृत राशि ₹29842.97716 लाख (दो सौ अट्ठानवे करोड़ बयालीस लाख सत्तानवे हजार सात सौ सोलह रु०) मात्र।

3. **उक्त स्वीकृत राशि** ₹29842.97716 लाख (दो सौ अट्ठानवे करोड़ बयालीस लाख सत्तानवे हजार सात सौ सोलह रु०) मात्र **के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग होंगे**, ***जिनके द्वारा उक्त राशि की एक मुश्त निकासी चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 में सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से CFMS के माध्यम से की जायेगी तथा 15वें वित्त आयोग की राशि के लिए PFMS से संबद्ध बिहार शहरी विकास अभिकरण (बुडा), पटना के Axis Bank, Ramsharan Sonjharo Block, Aparna Complex, Patna, Digha Road, Patna-800011 के खाता नाम–Central Finance Commissions grants, Buda, खाता संख्या– 926010005634952, IFSC Code – UTIB0002765 में अंतरित किया जायेगा। तदोपरांत संबंधित नगर निगमों को PFMS के माध्यम से राशि विमुक्त किया जायेगा।*** उक्त राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र सं०–2561, दिनांक–17.04.98, पत्रांक–227, दिनांक–28.03.2025 में निहित अनुदेशों के आलोक में की जायेगी।

4. कुल स्वीकृत राशि ₹29842.97716 लाख (दो सौ अट्ठानवे करोड़ बयालीस लाख सत्तानवे हजार सात सौ सोलह रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या–48 के अंतर्गत मुख्य शीर्ष–2217–शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष– 80–सामान्य, लघु शीर्ष–191–नगर निगम को सहायता, उप शीर्ष– 0010–वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में नगर निगमों को प्राथमिक कार्यो के लिए सहायक–अनुदान, विपत्र कोड–48-2217801910010 अंतर्गत विषय शीर्ष–0010.31.05–सहायक अनुदान–परिसम्पत्तियों का निर्माण मद से ₹14921.48858 लाख (एक सौ उनचास करोड़ इक्कीस लाख अड़तालीस हजार आठ सौ अठावन रु०) मात्र

एवं विषय शीर्ष–0010.31.06–सहायक अनुदान–गैर वेतन मद से ₹14921.48858 लाख (एक सौ उनचास करोड़ इक्कीस लाख अड़तालीस हजार आठ सौ अठावन रु०) मात्र की निकासी की जाएगी।

5. 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में प्राप्त राशि का व्यय विभागीय संकल्प संख्या–1844, दिनांक–13.05.2021 के आलोक में किया जायेगा।

6. राशि की निकासी किसी भी स्थिति में AC विपत्र पर नहीं किया जायेगा। यह अनुदान है, इसलिए राशि की निकासी बिहार कोषागार संहिता के नियम–270 के आलोक में यथा B.T.C. फॉर्म सं०–42 पर किया जायेगा, परन्तु राशि का व्यय संबंधित नगर निकायों द्वारा किया जायेगा, इसलिए उपयोगिता प्रमाण–पत्र संबंधित नगर निकायों द्वारा उपलब्ध कराने पर महालेखाकार, बिहार को प्रेषित किया जायेगा। राशि की निकासी करते समय विपत्र पर विपत्र कोड अनिवार्य रूप से अंकित किया जायेगा।

7. वित्त विभाग के संकल्प सं०– 573, दिनांक–16.01.1975 एवं एम 04–15/2009–9736, दिनांक–19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271 के अनुसार "सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।"

8. वित्त विभाग के परिपत्र सं०–7355 वि(2), दिनांक–05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

9. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं०– 2ब०/वि०आ०–10–02/2023 के पृ०–106/टि० पर दिनांक–06.02.2026 को प्राप्त है तथा सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति पृ०–107/टि० पर दिनांक–10.02.2026 को प्राप्त है।

10. इसकी सूचना संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/नगर आयुक्त, संबंधित नगर निगम/संबंधित कोषागार पदाधिकारी एवं अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–2ब०/वि०आ०–10–02/2023 483 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक– 10/2/26

प्रतिलिपिः– संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/नगर आयुक्त, संबंधित नगर निगम/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार, बिहार/वित्त विभाग (15वॉ वित्त आयोग कोषांग)/निदेशक, बुडा, नगर विकास एवं आवास विभाग/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/विभागीय लेखा शाखा/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–02 एवं 06/विभागीय आई०टी०, प्रबंधक, को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु/संबंधित सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (05 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

10/2/26

सरकार के संयुक्त सचिव।